कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 88–91 / 14 **तिथि–31.03.2015**

रामस्वरूप राम एवं अन्य तीन (पंचायत–रजला, कुढ़नी)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

श्री राम स्वरूप राम एवं अन्य तीन मजदूरों द्वारा दिनांक–09.09.2014 को परिवाद दायर किया गया जिसमें उन्होंने कुढ़नी प्रखंड के रजला पंचायत में दिनांक–26.06.2009 के बाद काम नहीं मिलने की शिकायत की है। इसके आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी से इस संबंध में नोटिस जारी की गयी।

इसके जवाब में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी ने पत्रांक–163 दिनांक–19.09.2014 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है। इसमें इन्होंने अंकित किया है कि परिवादी मजदूरों द्वारा प्रखंड कार्यालय में काम के मांग हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही आवेदन देने हेतु सम्पर्क किया गया है। प्रखंड कार्यालय में जो भी मजदूर आवेदन प्रस्तुत करते है उन्हे सहर्ष स्वीकार करते हुए विधिवत पावती रसीद दिया जाता है।

भवदीय से प्राप्त पत्र के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–19.09.2014 को ग्राम पंचायत राज–रजला के पंचायत भवन पर कैम्प आयोजित कर परिवादी सहित सभी चार मजदूरों के अतिरिक्त शिविर में उपस्थित अन्य 34 मजदूरों से काम मांग संबंधी आवेदन प्राप्त किया गया है। सभी मजदूरों को ससमय काम उपलब्ध कराने का निदेश पंचायत रोजगार सेवक को दिया गया है। उक्त शिविर में अन्य 14 मजदूरों द्वारा मजदूरी लंबित रहने की शिकायत की गयी। लंबित मजदूरी भुगतान की शिकायत हेतु पंचायत रोजगार सेवक को 24 घंटे के अन्दर सभी अभिलेख उनके (कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी) समक्ष उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ताकि मजदूरों का शिकायत का निवारण करते हुए लंबित मजदूरी का भुगतान कराया जा सके।

इस संबंध में रजला पंचायत के मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक, रजला से प्रतिवेदन की मांग की गयी जिसके आलोक में दोनों के द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसमें इन दोनों द्वारा उल्लेख किया गया है कि उल्लेखित मजदूरों को योजना सं0–01 / 14–15 में कार्य स्थल पर आकर कार्य करने हेतु कई बार पंचायत रोजगार सेवक एवं स्थानीय वार्ड सदस्यों द्वारा सूचना दी गयी। इसके बावजूद मजदूर कार्य करने हेतु स्थल पर नहीं आये। साथ ही साथ पंचायत को गुमराह करते रहते हैं।

–: विचारणीय बिन्दु :–

1. क्या मजदूर काम की मांग किये थे? और पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जानबूझ कर इनका आवेदन नहीं लिया गया और उन्हें 15 दिनों के अन्दर काम नहीं दिया गया?

2. क्या पंचायत रोजगार सेवक और मुखिया द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार सूचना दिये जाने पर भी मजदूर योजना स्थल पर कार्य करने नहीं आये? अतः क्या वे क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं है?

–: निष्कर्ष :–

दोनों विचारणीय बिन्दु एक साथ ही निष्तारित किये जाते है।

पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मजदूरों ने मेरे न्यायालय में दिनांक–09.09.2014 को आवेदन दिया है और इन्होंने लिखा है कि दिनांक–25.06.2009 के बाद इन्हे कोई काम नहीं मिला है। राम स्वरूप राम ने 26.06.2009 के बाद काम न मिलेने के बात कही है। इन्होंने जिस समय आवेदन मेरे कार्यालय में दिया था उसी दिन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी श्री जितेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे। जिन्हे मैंने मौखिक निर्देश भी दिया था कि इन लोगों को आवेदन की प्राप्ति रसीद दिया जाए एवं 15 दिनों में इन्हे कार्य देना सुनिश्चित करें। इन्होंने आश्वासन भी

दिया और अपने पत्रांक–163 दिनांक–19.09.2014 जो इस कार्यालय में 24.09.2014 को प्राप्त हुआ है। इसमें इन्होंने बताया है कि 19.09.2014 को इन्होंने पंचायत राज रजला के पंचायत भवन पर कैम्प किया था । जिसमें 34 मजदूरों ने काम का मांग का आवेदन दिया था। जिसे प्राप्त किया गया था जिसमें इन 4 मजदूरों द्वारा काम की मांग नहीं की गयी। किन्तु पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक–10.12.2014 में जो कार्यालय में दिनांक–17.12.2017 को प्राप्त हुआ है, में कहा गया है कि इन मजदूरों को योजना सं0–01/14–15 पर कार्य स्थल पर आकर कार्य करने हेतु कई बार सूचना दी गयी फिर भी वे कार्य स्थल पर नहीं आये और गैर हाजिर रहे। इसके समर्थन में इन्होंने मस्टर रॉल नं0–6325, 6328, 6331, 6334, 6326, 6330, 6332, 6336, 6327, 6329, 6333 एवं 6335 की छायाप्रति संलग्न की गयी है जो पंचायत 5/33 रजला के वित्तीय वर्ष –2014–15 के ढ़ोढ़ी परशुराम के सिवान दिनपंचु सहाय वर्मा के घर के पीछे होते हुए सौखी पासवान, सच्चिदानंद भगत एवं नहरी पार कर के कुशहर चौधरी के घर तक नया सड़क का निर्माण कार्य के संदर्भ में है। इन परिवादियों को गैर हाजिर दिखाया गया है। इतना ही नहीं शेष सभी मजदूरों को भी गैर हाजिर दिखाया गया है। यह एक बहुत ही अस्वभाविक बात प्रतीत होती है कि गरीब मजदूर जिसने काम मांगा है वह सम्यक सूचना पाने के बाद भी काम पर न जाए। कुछ मजदूरों की अनुपस्थिति स्वभाविक हो सकती है। किन्तु सभी के सभी न आवें ऐसा मानवीय व्यवहार और गाँव की सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिति को देखते हुए सही प्रतीत नहीं होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश–2013 के कंडिका–3.4 (Vii & viii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पी0ओ0 को रोजगार के लिए आवेदन दिया जाता है और पी0ओ0 कार्य आवंटित कर देता है तो वह ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी देगा ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार रजिस्टर संबंधी आंकड़ो को समेकित किया जा सके और आवेदक कार्ड धारक को इसकी जानकारी दी जा सके। ग्राम पंचायत आवंटित किये गये रोजगार की जानकारी भी पी0ओ0 को देगी। जानकारी देने का यह कार्य निर्धारित फॉर्मेट पर साप्ताहिक आधार पर किया जाना चाहिए।

दूसरा जिन आवेदकों को कार्य उपलब्ध कराया गया है उन्हें उनके जॉब कार्ड में दिये गये पते पर संचार माध्यम के जरिये इस बात की जानकारी दी जाएगी और साथ ही ग्राम पंचायत और पी.ओ. कार्यालय पर लगाई गयी सार्वजनिक नोटिस में इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

इस संदर्भ में पी0ओ0 या प0आर0एस0 द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि उन्होंने किस माध्यम से मजदूरों को सूचना दी।

मजदूरों द्वारा दिनांक–09.09.2014 को मेरे कार्यालय में आवेदन दिया गया था और 15 दिनों के अन्दर इन्हें कार्य उपलब्ध करा देना था। लेकिन मस्टर रॉल में जो योजना दिखाई गयी है वह 08.11.2014 से 14.11.2014 तक कार्य करने के संदर्भ में है। इससे स्पष्ट है कि 15 दिनों के अन्दर इन्होंने मजदूरों को काम उपलब्ध नहीं कराया। एक तरफ पी0ओ0 यह कहते है कि इन मजदूरों ने काम की मांग नहीं की थी और दूसरी तरफ पंचायत रोजगार सेवक ने जो मस्टर रॉल दिया है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है से स्पष्ट है कि मजदूरों ने काम मांगा था अतः इनके नाम पर मस्टर रॉल बनाया गया है जो यह जाहिर करता है कि कार्यक्रम पदाधिकारी ने इन मजदूरों के संदर्भ में गलत प्रतिवेदन जानबूझ कर दिया है एवं पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदा0 के मिलीभगत से मस्टर रॉल पर फर्जी अनुपस्थिति दिखा कर मजदूरों के विधिक हक को देने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में मैं यह पाता हूँ कार्य0 पदा0 एवं पं0रो0से0 जितेन्द्र कुमार एवं रंजीत कुमार क्रमशः ने जानबूझ कर मस्टर रॉल में कूट रचना की है और जानबूझ कर मजदूरों को काम की सूचना सम्यक तरीके से न देकर उन्हें उनके विधिक हक से महरूम किया है। वैसे भी मजदूरों द्वारा दिये गये आवेदन दिनांक–09.09.2014 से 25.09.2014 तक काम दे देना चाहिए था। जबकि मस्टर रॉल में 15.11.2014 से काम प्रारंभ करने की तिथि बताई गयी है। पं0रो0से0 एवं कार्य0 पदा0 ने रोजगार रजिस्टर अनुबंध 19 भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो कि मजदूरों के मांग के संदर्भ में तत्काल रजिस्टर संधारित करते है अथवा नहीं।

ऐसी स्थिति में मैं यह पाता हूँ कि कार्य0 पदा0, जितेन्द्र कुमार एवं पं0रो0से0, रंजीत कुमार पंचायत राज–रज़ला प्रखंड–कुढ़नी द्वारा जानबूझ कर मस्टर रॉल में कूट रचना की गयी

है और मजदूरों द्वारा किये गये मांग को सम्यक रूप से दर्ज नहीं किया गया है और न ही उन्हें पावती रसीद दी गयी है। और यह सब कुछ बेरोजगारी भत्ता न देना पड़े इसलिए किया गया है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में मैं यह एवार्ड घोषित करता हूँ कि रामस्वरूप राम, चन्द्रीप राम, शंभू राम एंव शिवबालक राम को रा0ग्रा0रो0गां0 अधिनियम—2005 की धारा 7 एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के कंडिका 3.5 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश देता हूँ। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी दर से एक चौथाई से कम नहीं होगा और वित्त वर्ष के शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा। एमजीएनआरईजीए की धारा 8 (2) एवं (3) का अनुपालन डी0पी0सी0 द्वारा किया जाए।

कार्य0पदा0 एवं पं0रोज0से0 द्वारा जानबूझ कर गलत प्रतिवेदन देना तथा विधि की मंशा के विरूद्ध कूट रचना कर मस्टर रॉल में मजदूरों को अनुपस्थित दिखाने जैसी घोर अनुशासनहीनता के लिए इन दोनों का एक—एक माह का मानदेय काट लिया जाए एवं इन्हें गंभीर चेतावनी निर्गत की जाए कि दुबारा ऐसी गलती करने पर इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

ह0/

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 41 / **मुज0,दिनांक—** 01 / 04 / **2015**

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी—सह—जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ समर्पित कि विभागीय ज्ञापांक—175362 दिनांक—27.01.2014 के कंडिका 14.2 के आलोक में ए0टी0आर0 भेजने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :— संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
31.3.15

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

D/Damodar/Lokpal app/DRDA

2